उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
सं0 192/2011/XXVII(9)/मनो0कर–10/2008
दिनांकः देहरादून :: 31 मई, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से शासकीय अधिसूचना सं0 58/2010/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009 दिनांक 06 सितम्बर, 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए सिनेमागृहों के ऊपर मनोरंजन कर की दर निम्नलिखित निर्बन्धन के अधीन निम्नानुसार अधिरोपित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

₹ 24 तक के मूल्य के टिकट पर	10 प्रतिशत
₹ 24 से ₹ 49 तक के मूल्य के टिकट पर	20 प्रतिशत
₹ 50 एवं इससे अधिक के मूल्यों के टिकट पर	30 प्रतिशत

(1) जो सिनेमागृह छूट की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्मित हुए हैं उन्हें पूर्ववत् उक्त योजना के अन्तर्गत छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 192/2011/XXVII(9)/मनो0कर–10/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कर(मनोरंजन कर), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
3– उपायुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
4– समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– प्रभारी एन0आई0सी0उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड ।
(मनोरंजन कर विभाग)

संख्या 128 /मनो0कर/45–सां0/2011–12 देहरादून दिनांक 02 जून 2011

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति समस्त उपायुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी जिला मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(राधा रतूड़ी)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।